पुरानी द्वारिका के अवशेषों की खोज

3757. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने द्वारिका के निकट समुद्र में पुरानी द्वारिका के अवशेषों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो खोजे गए अवशेषों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अवशेषों की ऐतिहासिक व्याख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार खोज की प्रगति में तेजी लाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, द्वारिका समुद्र के निकट प्राचीन द्वारिका के अवशेषों से संबंधित किसी भी कार्य को अपने हाथ में नहीं लिया है। भारतीय समुद्र विज्ञान (एन० आई० ओ०) संस्थान्, गोवा जो कि सी०एस०आई०आर० का एक संस्थान है, जिसमें समुद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य को समुद्र वैज्ञानिक कार्यकलापों के रूप में लिया है। इनके सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि प्राचीन बन्दरगाह जिसमें बुर्ज, दीवारें और नौकाओं के टुकड़े, जैसे लंगर और मस्तूल के अतिरिक्त कुछ धातुओं के मानव निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए अवशेषों से यह अनुमान लगाया गया है कि इस शहर के निवासियों को नौका निर्माण, बन्दरगाह निर्माण और धातु विज्ञान का ज्ञान था।

(घ) सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अन्वेषण की प्रक्रिया, सतत् बनी हुई है।

कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में ऐतिहासिक दस्तावेजों की सुरक्षा

3758. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में या उपयोग नहीं की जाने वाली अवस्था में पड़े हुए हैं;

(ख) क्या पुस्तकालय के नियमानुसार ऐतिहासिक दस्तावेजों की सुरक्षा पर इन दस्तावजों को शोध छात्रों और शिक्षकों को मुहैया कराने की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दस्तावेजों की उचित सुरक्षा और उन्हें जरूरतमंद शोध छात्रों और शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) जी, नहीं।

(ख) ऐतिहासिक दस्तावेजों की सुरक्षा की ओर ध्यान देने के साथ-साथ पुस्तकालय यह भी सुनिश्चित करता है कि ये दस्तावेज शोध अध्येताओं व शिक्षकों की आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ के लिए सुलभ हो सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Strengthening of External Academic Relations

3759. SHRI K. RAHMAN KHAN:
SHRI W. ANGOU SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken any measures to strengthen external academic relations;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of the education component of bilateral Cultural Exchange Programmes and other collaborative arrangements;

(d) whether information in this regard is not adequately published; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA):(a) Yes

(b) and (c) The Government of India has signed bilateral cultural exchange programmes (CEPs) with various countries. The CEPs typically provide for exchange of scholars/scientists/academicians, exchange of publications, literature and research materials in the field of higher education, equivalence of certificates/degrees/diplomas, exchange of experts and exchanges of scholars for courses of study in each others' academic

and cultural institutions, including learning of each others' language.

(d) The information is being furnished through circulars and is widely advertised in the newspapers.

(e) Does not arise, in the light of (d).

Staff Quarters of Delhi University

3760. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that much of the Rs. six crore provided to the Delhi University for development of staff quarters has not been utilised for the past twelve years;

(b) if so, when were the funds made available to the Delhi University for the development of staff quarters and the reasons for the University not utilising the money; and

(c) the action Government propose to take to ensure that Delhi University immediately takes up the development of quarters for the University staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATON IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA):(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

निजी स्कूलों द्वारा भारी मात्रा में दान (डोनेशन) वसूल किया जाना

3761. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा प्रवेशों के संबंध में भारी मात्रा में दान (डोनेशन) वसूल किए जाने और अभिभावकों के साक्षात्कार जैसी अनावश्यक शर्तों पर रोक लगाने के लिये कोई व्यवस्था की है अथवा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकार की 'सबको शिक्षा मिले' नीति का उद्देश्य पूरा हो सके सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसके सम्बद्धन उप नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दाखिला लेते समय अथवा दाखिला के पश्चात् किसी स्कल को डोनेशन लेने की अनुमति प्रदान करता हो। सामान्य तौर पर स्कूल-पूर्व स्तर अर्थात् पहली कक्षा अथवा नर्सरी/के०जी०/प्रारंभिक (प्रेप) स्तर पर दाखिला करते समय बच्चे के भावनात्मक, भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक गुणों का कुछ मूल्यांकन करने के लिए दाखिला हेतु अभिभावकों का साक्षात्कार किया जाता है। इस दृष्टिकोण से बच्चे का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए अभिभावकों का मामूली सा साक्षात्कार लिया जाता है। ऐसे साक्षात्कारों का उद्देश्य अन्य असंगत विचार अथवा प्रयोजनार्थ नहीं होना चाहिए। किसी कक्षा के बाद के स्तरों पर साक्षात्कारों का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह उद्देश्य है बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लक्षणों का अधिकाधिक व्यावहारिक मूल्यांकन।

(ख) चूंकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धन उपनियम दाखिला देते समय अभिभावकों से डोनेशन वसूल करने अथवा उनसे साक्षात्कार लेने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, अतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

केन्द्रीय विद्यालय के शुल्कों में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता

3762. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ऊपर अर्थात् कक्षा छठी से बारहवीं तक लिये जा रहे मासिक ट्यूशन शुल्क में विषमता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कक्षाओं के लिये मासिक ट्यूशन शुल्क की कक्षा-वार दर क्या है;

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों, विशेषकर निजी संस्थाओं/राजनीतिक कार्यालयों में कार्यरत मध्य तथा निम्न मध्य वर्गीय अभिभावकों के बच्चों, जिनको संसद सदस्यों की अनुशंसा पर प्रवेश मिला है, के हित में शुल्क में ऐसी विषमता को समाप्त करने पर विचार करेगी; और